



2026:AHC-LKO:2138-DB

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ**

विशेष अपील संख्या - 101 सन 2007

डॉ० नीरज चौबे

सह संबद्ध आपराधिक विविध वाद संख्या 1880सी/2002

..... अपीलकर्ता(ओं)

बनाम

प्र० कुंज बिहारी नायक द्वारा निदेशक के.एन.आई.टी. सुल्तानपुर

.....प्रतिवादी(ओं)

अपीलकर्ता(ओं) के अधिवक्ता	:	डॉ० नीरज चौबे व्यक्तिगत रूप से
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता	:	ललित शुक्ला

न्यायालय संख्या - 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन राँय

माननीय न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी

1. हमने अपीलकर्ता डॉ. नीरज चौबे और प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता श्री ललित शुक्ला को सुना।
2. यह इलाहाबाद उच्च न्यायालय नियमावली, 1952 के अध्याय VIII नियम 5 के अंतर्गत एक विशेष अपील है, जिसमें आपराधिक विविध अवमानना वाद संख्या 1880 (सी) 2002 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 07.04.2004 को पारित आदेश को चुनौती दी गई है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3. अपीलकर्ता और प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता की बात सुनने के बाद यह स्पष्ट होता है कि दिनांक 07.04.2004 को अपीलकर्ता की अवमानना याचिका संख्या 1880 (सी) 2002 को परिसीमा अवधि के आधार पर और विद्वान अवमानना न्यायाधीश के अनुसार दिनांक 21.04.1992 के अंतरिम आदेश का अनुपालन किए जाने के कारण खारिज करने का आदेश पारित किया गया था। इससे पहले, दिनांक 30.10.2006 के एक आदेश के माध्यम से अपीलकर्ता द्वारा धारा 340 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अवमानना न्यायालय में दायर एक आवेदन पर उस पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया था, इसलिए उस आदेश को भी चुनौती दी गई है। वास्तव में, उक्त आदेशों को न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 19 के तहत अपील दायर करके चुनौती दी गई थी, लेकिन किसी समय, 24.01.2007 को, अवमानना अपील को इलाहाबाद उच्च न्यायालय नियमावली, 1952 के अध्याय VIII नियम 5 के अंतर्गत विशेष अपील में परिवर्तित कर दिया गया और तब से इस पर तदनुसार कार्यवाही की जा रही है। हालांकि, पारित आदेशों की प्रकृति को देखते हुए, चूंकि किसी का भी यह दावा नहीं है कि अवमानना न्यायालय द्वारा पारित आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर है या उसने मामले की योग्यता के आधार पर कोई ऐसा मुद्दा तय किया है जिसे रिट न्यायालय ने तय नहीं किया है, इसलिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय नियमावली, 1952 के अध्याय VIII नियम 5 के तहत विशेष अपील माननीय सर्वोच्च न्यायालय के *मिदनापुर पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और अन्य बनाम चुनीलाल नंदा और अन्य* के मामले में दिए गए निर्णय के मद्देनजर विचारणीय नहीं है, जो *(2006) 5 एससीसी 399 [प्रस्तर 11 (iv) और (v)]* में प्रकाशित हुआ है। यदि कोई उपाय उपलब्ध था, तो उक्त आदेश/आदेशों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति याचिका दायर करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती देना था, जिसका लाभ नहीं उठाया गया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह विशेष अपील इतने लंबे समय से लंबित है और वास्तव में, अवमानना न्यायालय द्वारा लगाए गए 500 रुपये के जुर्माने पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश 16.07.2007 को भी पारित किया गया था। न्यायालय उस समय यह ध्यान नहीं दे सका कि विशेष अपील स्वयं ही विचारणीय नहीं है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

4. उपरोक्त कथनों के आलोक में, हमारा मत है कि दिनांक 30.10.2006 के आदेश द्वारा लगाए गए 500/- रुपये के जुर्माने से छूट प्राप्त करने के लिए अपीलकर्ता को अवमानना न्यायालय के समक्ष उस सीमा तक पुनर्विचार हेतु आवेदन करने की अनुमति दी जाए।
5. जिस रिट याचिका से अवमानना कार्यवाही उत्पन्न हुई है, वह 1991 से लंबित है। हमने पाया है कि इसका अभिलेख इस विशेष अपील के साथ संलग्न है, अतः इसे माननीय एकल न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध नहीं किया जा सका। तदनुसार, हम निर्देश देते हैं कि रिट याचिका संख्या 488 (एम/एस) 1991, जिसे अब रिट-सी संख्या 1000488 / 1991 के रूप में पुनः क्रमांकित किया गया है, को माननीय एकल न्यायाधीश के समक्ष 02.02.2026 को दिन के पहले पांच मामलों में सूचीबद्ध किया जाए।
6. हम माननीय एकल न्यायाधीश से निवेदन करते हैं कि वे कार्यभार को ध्यान में रखते हुए यथासंभव प्राथमिकता के आधार पर उक्त रिट याचिका पर सुनवाई करें और इसका शीघ्र निस्तारण करने का प्रयास करें।
7. कार्यालय को अपने कंप्यूटर रिकॉर्ड में सुधार करने का निर्देश दिया जाता है, क्योंकि पूर्ववर्ती रिट याचिका संख्या 488 (एम/एस) 1991 को खारिज किए जाने के बाद, जिस आदेश द्वारा इसे खारिज किया गया था, उसे वापस ले लिया गया है, लेकिन कंप्यूटर रिकॉर्ड में अभी भी इसे खारिज के रूप में दर्शाया गया है।
8. लखनऊ स्थित इस न्यायालय के वरिष्ठ निबंधक इस मामले की जांच करें और आवश्यक कार्रवाई करें।
9. उपरोक्त टिप्पणियों/निर्देशों के साथ, रिट विशेष अपील का निस्तारण किया जाता है।

[न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी]

[न्यायमूर्ति राजन राय]

जनवरी 12, 2026

आर.के.पी

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।